



भारत सरकार Government of India

परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research



विज्ञापन सं. पखनि -3/2022

“सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है, जिसमें लिंग संतुलन प्रति बिंबित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।”

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुतीकरण की अवधि	29-10-2022 से 17-11-2022 तक
ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि और समय	17-11-2022 (23:59 बजे)
स.सू.अ(ए) और सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए शारीरिक परीक्षण की संभावित तिथि	दिसम्बर, 2022
क.अ.अ.(स्तर-1) और सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए लिखित परीक्षा (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) की संभावित तिथि	जनवरी, 2023
क.अ.अ.(स्तर-2) और स.सू.अ(ए) के लिए विवरणात्मक परीक्षा की संभावित तिथि	फरवरी, 2023

पूरे भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न संघटक इकाइयों में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित है :

1. पदनाम	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (कअअ)												
वेतन	वेतन : ₹ 35,400/- (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में सेल नं.1) तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते)												
समूह	ख - (अराजपत्रित)												
कुल पदों की संख्या	<table border="1"> <thead> <tr> <th>अज</th> <th>अजजा</th> <th>अपवि</th> <th>अकव</th> <th>अना</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>कुल पदों में से 1 (एक) 1 पद पीडब्ल्यूडी-एचएच के लिए आरक्षित है</p>	अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	TOTAL	0	0	2	2	5	9
अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	TOTAL								
0	0	2	2	5	9								
अनिवार्य न्यूनतम अर्हता	<p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी/अंग्रेजी में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/हिंदी मुख्य विषय के रूप में (अथवा)</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में (अथवा)</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिंदी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/ हिंदी मुख्य विषय के रूप में (अथवा)</p> <p>हिंदी / अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या किसी अन्य विषय में हिंदी/अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी/ हिंदी मुख्य विषय के रूप में या परीक्षा का माध्यम रहा हो (अथवा)</p> <p>मुख्य विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी के साथ स्नातक डिग्री या उनमें से कोई एक परीक्षा का माध्यम तथा दूसरा मुख्य विषय रहा हो और साथ ही हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा / प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा किया हो या किसी केन्द्रीय / राज्य सरकार के कार्यालय या भारत सरकार के किसी उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव हो ।</p>												

आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार आयु सीमा	18-28 वर्ष
चयन प्रक्रिया	<p>चयन प्रक्रिया के अंतर्गत स्तर 1 एवं 2 में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी हैं, जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-</p> <p>स्तर-1 परीक्षा – वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्य हिंदी 2. सामान्य अंग्रेजी 3. सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति 4. मात्रात्मक अभिक्षमता <p>द्विभाषी रूप (हिंदी एवं अंग्रेजी) में 100 प्रश्न – अवधि – 2 घंटे</p> <p><u>प्रत्येक स्तर पर उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम अंक निम्नानुसार रहेगें:-</u></p> <p>अना/अकव : 50% पूर्णयोग अपिव : 40% पूर्णयोग</p> <p>स्तर 1 परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को स्तर 2 परीक्षा के लिए शार्ट लिस्ट किया जाएगा । अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट करने के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की ऊपर उल्लिखित न्यूनतम अर्हक अंकों तक की अवरोही क्रम में सूची बनायी जाएगी । अजा, अजजा, अपिव, पीएच के लिए अलग अंक सूची तैयार की जाएगी तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्तर 1 की परीक्षा में भाग लिया है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सामान्य सूची भी तैयार की जाएगी । न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने मात्र से ही अभ्यर्थी स्तर 2 परीक्षा हेतु बुलाए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे ।</p> <p>स्तर 1 परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को शार्ट लिस्ट किए जाने का अनुपात 1:20 रहेगा अर्थात प्रत्येक रिक्ति के लिए 20 अभ्यर्थियों को स्तर 2 की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा । यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों ने समान कट ऑफ अंक प्राप्त किए हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों को स्तर 2 की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने समान अंक प्राप्त किए हैं ।</p> <p>स्तर-2 परीक्षा :-</p> <p>विवरणात्मक लिखित परीक्षा में निम्नलिखित पाठ्यक्रमानुसार दो प्रश्न पत्र (प्रश्नपत्र- I एवं प्रश्नपत्र-II) होंगे :</p> <p>प्रश्नपत्र - I (अंक-100) - अवधि : 3 घंटे</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हिंदी से अंग्रेजी में पैराग्राफ का अनुवाद (02 पैराग्राफ) - 25 अंक (एक पैराग्राफ तकनीकी एवं एक पैराग्राफ प्रशासनिक स्वरूप का होगा) (अनुवाद हेतु लगभग 250 शब्द होंगे) 2. अंग्रेजी से हिंदी में पैराग्राफ का अनुवाद (02 पैराग्राफ) : 25 अंक (एक पैराग्राफ तकनीकी एवं एक पैराग्राफ प्रशासनिक स्वरूप का होगा) (अनुवाद हेतु लगभग 250 शब्द होंगे) 3. अंग्रेजी से हिंदी में वाक्यों का अनुवाद (सरकारी कार्य से संबंधित) (10 वाक्य) : 15 अंक 4. हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों का अनुवाद (सरकारी कार्य से संबंधित) (10 वाक्य) : 15 अंक 5. अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय (10) : 10 अंक 6. हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय (10) : 10 अंक

	<p>प्रश्नपत्र - II (अंक-100) - अवधि : 3 घंटे</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति एवं मात्रात्मक अभिक्षमता : 50 अंक 2. सामान्य हिंदी : 15 अंक 3. सामान्य अंग्रेजी : 15 अंक 4. हिंदी में निबंध : 10 अंक 5. अंग्रेजी में निबंध : 10 अंक <p>नामिकायन मानदंड :</p> <p>स्तर-2 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अंतिम चयन किया जाएगा ।</p> <p>स्तर -2 में अंक टाई होने की दशा में निर्णय का आधार :</p> <p>क. स्तर 1 एवं स्तर 2 के कुल अंक</p> <p>ख . जन्म तिथि (अधिक आयु वाले उम्मीदवार)</p> <p>ग. नाम का वर्णानुक्रम (प्रथम नाम, मध्य नाम एवं उपनाम के क्रम में)</p>
--	---

2 . . पदनाम	सहायक सुरक्षा अधिकारी -ए																		
वेतन	Pay: ₹ 35,400/- (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में सेल नं.1) तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते																		
समूह	ख - अराजपत्रित																		
कुल पदों की संख्या	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>अज</td> <td>अजजा</td> <td>अपवि</td> <td>अकव</td> <td>अना</td> <td>कुल</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>15</td> <td>38</td> </tr> </table> <p>कुल पदों में से 1 (एक) पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है।</p>	अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	कुल	3	3	14	3	15	38						
अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	कुल														
3	3	14	3	15	38														
न्यूनतम अर्हताएँ	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">सीधी भर्ती</td> <td>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक</td> </tr> <tr> <td>भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस एवं भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध सैनिक कार्मिक</td> <td>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अनुभव: उम्मीदवार को कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष से कम स्तर का पद धारण न किया हो या गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव हो ।</td> </tr> </table>	सीधी भर्ती	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस एवं भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध सैनिक कार्मिक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अनुभव: उम्मीदवार को कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष से कम स्तर का पद धारण न किया हो या गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव हो ।														
सीधी भर्ती	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक																		
भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस एवं भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध सैनिक कार्मिक	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष अनुभव: उम्मीदवार को कनिष्ठ कमीशन-प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष से कम स्तर का पद धारण न किया हो या गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी अथवा समकक्ष के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव हो ।																		
आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार आयु सीमा	18-27 वर्ष भूतपूर्व सैनिक और पूर्व-कांस्टेबल सशस्त्र बलों या पुलिस से सेवामुक्त होने या सेवानिवृत्ति के तीन साल के भीतर ही आवेदन करने के पात्र होंगे ।																		
चयन का तरीका	<p>चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा शामिल होगी ।</p> <p>शारीरिक परीक्षण (पीटी): शारीरिक मानक: कोई विकलांगता नहीं।</p> <p>क) न्यूनतम ऊँचाई :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र. सं.</th> <th rowspan="2">श्रेणी</th> <th colspan="2">ऊँचाई (सेमी में)</th> </tr> <tr> <th>पुरुष</th> <th>स्त्री</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सामान्य</td> <td>167</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार</td> <td>165</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार</td> <td>162.5</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)		पुरुष	स्त्री	1.	सामान्य	167	157	2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	165	155	3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	162.5	154
क्र. सं.	श्रेणी			ऊँचाई (सेमी में)															
		पुरुष	स्त्री																
1.	सामान्य	167	157																
2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	165	155																
3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	162.5	154																

ख) छाती (पुरुष)

क्र. सं.	श्रेणी	(सेमी में)	
		अविस्तारित	विस्तारित
1.	सामान्य	80	85
2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	80	85
3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	77	82

शारीरिक प्रतिस्पर्धा:

(क) शारीरिक प्रतिस्पर्धा (पुरुष)

- (i) 1.6 Kms. दौड - 6 मिनट 30 सेकेंड
(ii) लंबी कूद - तीन अवसरों में 3.65 मीटर
(iii)

	आयु	संख्या
चिन अप्स	30 वर्ष तक	08-09
	30 – 40 वर्ष	05-06
पुश अप्स (दंड बैठक)	40-45 वर्ष	16-17
	45 वर्ष से ऊपर	12-13
सिट अप्स (उठक बैठक)	30 वर्ष तक	25-29
	30-40 वर्ष	20-24
	40-45 वर्ष	15-19
	45 वर्ष से ऊपर	10-14

(ख) शारीरिक प्रतिस्पर्धा (स्त्री)

- (i) 800 मीटर दौड - 4 मिनट
(ii) लंबी कूद - तीन अवसरों में 2.7 मीटर(9 फीट)

	आयु	संख्या
सिट अप्स (उठक बैठक)	30 वर्ष तक	20
	30-40 वर्ष	15
	40-45 वर्ष	12
	45 वर्ष से ऊपर	10

केवल शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी

2. लिखित परीक्षा

शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 90 मिनट की आबंटित अवधि में 75 अंक की लिखित परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी। प्रश्न पत्र की रूपरेखा निम्न प्रकार होगी :

- (अ) अवधारणा – 25 अंक
(ब) रिपोर्ट लेखन – 25 अंक
(स) विश्लेषणात्मक (आधारभूत गणित और सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार) – 25 अंक

अंतिम चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

लिखित परीक्षा में अंक टाई होने की दशा में निर्णय का आधार :

- क . जन्म तिथि (अधिक आयु वाले उम्मीदवार)
ख. नाम का वर्णानुक्रम (प्रथम नाम, मध्य नाम एवं उपनाम के क्रम में)

3 . . पदनाम	सुरक्षा प्रहरी																																									
वेतन	₹ 18,000/- (वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में सेल नं.1) तथा केंद्र सरकार कर्मचारियों को स्वीकार्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते																																									
समूह	ग - (अराजपत्रित)																																									
कुल पदों की संख्या	<table border="1"> <tr> <td>अज</td> <td>अजजा</td> <td>अपवि</td> <td>अकव</td> <td>अना</td> <td>कुल</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>28</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>162</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">कुल पदों में से 29 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।</td> </tr> </table>						अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	कुल	20	28	46	18	162	274	कुल पदों में से 29 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।																							
अज	अजजा	अपवि	अकव	अना	कुल																																					
20	28	46	18	162	274																																					
कुल पदों में से 29 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।																																										
न्यूनतम अर्हताएं	<table border="1"> <tr> <td>सीधी भर्ती</td> <td>10वीं कक्षा पास</td> </tr> <tr> <td>भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व पुलिस/पूर्व केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकके लिए</td> <td>10 वीं कक्षा पास या समकक्ष, केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए 10 वी कक्षा पास यासशस्त्र बलों से समकक्ष प्रमाणपत्र</td> </tr> </table>						सीधी भर्ती	10वीं कक्षा पास	भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व पुलिस/पूर्व केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकके लिए	10 वीं कक्षा पास या समकक्ष, केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए 10 वी कक्षा पास यासशस्त्र बलों से समकक्ष प्रमाणपत्र																																
सीधी भर्ती	10वीं कक्षा पास																																									
भूतपूर्व सैनिकों/पूर्व पुलिस/पूर्व केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकके लिए	10 वीं कक्षा पास या समकक्ष, केन्द्रीय अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए 10 वी कक्षा पास यासशस्त्र बलों से समकक्ष प्रमाणपत्र																																									
आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार आयु सीमा	18-27 वर्ष भूतपूर्व सैनिक और पूर्व-कांस्टेबल सशस्त्र बलों या पुलिस से सेवामुक्त होने या सेवानिवृत्ति के तीन साल के भीतर ही आवेदन करने के पात्र होंगे ।																																									
चयन का तरीका	<p>चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण और लिखित परीक्षा शामिल होगी ।</p> <p>1. शारीरिक परीक्षण (पीटी): शारीरिक मानक: कोई विकलांगता नहीं।</p> <p>क) न्यूनतम ऊँचाई :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र. सं.</th> <th rowspan="2">श्रेणी</th> <th colspan="2">ऊँचाई (सेमी में)</th> </tr> <tr> <th>पुरुष</th> <th>स्त्री</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सामान्य</td> <td>167</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार</td> <td>165</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार</td> <td>162.5</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table> <p>ख) छाती (पुरुष)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">क्र. सं.</th> <th rowspan="2">श्रेणी</th> <th colspan="2">(सेमी में)</th> </tr> <tr> <th>अविस्तारित</th> <th>विस्तारित</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सामान्य</td> <td>80</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार</td> <td>80</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार</td> <td>77</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p>शारीरिक प्रतिस्पर्धा: (क) शारीरिक प्रतिस्पर्धा (पुरुष) (i) 100 मीटर दौड - 16 सेकंड (ii) लंबी कूद - तीन अवसरों में 3.65 मीटर</p>						क्र. सं.	श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)		पुरुष	स्त्री	1.	सामान्य	167	157	2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	165	155	3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	162.5	154	क्र. सं.	श्रेणी	(सेमी में)		अविस्तारित	विस्तारित	1.	सामान्य	80	85	2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	80	85	3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	77	82
क्र. सं.	श्रेणी	ऊँचाई (सेमी में)																																								
		पुरुष	स्त्री																																							
1.	सामान्य	167	157																																							
2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	165	155																																							
3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	162.5	154																																							
क्र. सं.	श्रेणी	(सेमी में)																																								
		अविस्तारित	विस्तारित																																							
1.	सामान्य	80	85																																							
2.	गढवाल, कुमाऊ, हिमाचल प्रदेश के पहाडी क्षेत्रों के एवं गोरखा, डोगरा, मराठा, जम्मू-कश्मीर की कश्मीर घाटी एवं लेह-लडाख क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य एवं सिक्किम के उम्मीदवार	80	85																																							
3	अ.ज.जा वर्ग से संबंधित उम्मीदवार	77	82																																							

(iii)

	आयु	संख्या
चिन अप्स	30 वर्ष तक	08-09
	30 – 40 वर्ष	05-06
पुश अप्स (दंड बैठक)	40-45 वर्ष	16-17
	45 वर्ष से ऊपर	12-13
सिट अप्स (उठक बैठक)	30 वर्ष तक	25-29
	30-40 वर्ष	20-24
	40-45 वर्ष	15-19
	45 वर्ष से ऊपर	10-14

(ख) शारीरिक प्रतिस्पर्धा (स्त्री)

- (i) 100 मिटर दौड़ - 20 सेकंड
(ii) लंबी कूद - तीन अवसरों में 2.7 मीटर(9 फीट)

	आयु	संख्या
सिट अप्स (उठक बैठक)	30 वर्ष तक	20
	30-40 वर्ष	15
	40-45 वर्ष	12
	45 वर्ष से ऊपर	10

केवल शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी

2. लिखित परीक्षा

शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 90 मिनट की आबंटित अवधि में 75 अंक की लिखित परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी। प्रश्न पत्र की रूपरेखानिम्न प्रकार से होगी :

- (अ) अवधारणा – 25 अंक
(ब) सामान्य जागरूकता– 25 अंक
(स) विश्लेषणात्मक (आधारभूत गणित और सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ प्रकार) – 25 अंक

अंतिम चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा ।

लिखित परीक्षा में अंक टाई होने की दशा में निर्णय का आधार :

- क . जन्म तिथि (अधिक आयु वाले उम्मीदवार)
ख. नाम का वर्णानुक्रम (प्रथम नाम, मध्य नाम एवं उपनाम के क्रम में)

आवेदन शुल्क

क्र.सं	पदनाम	शुल्क (₹)	भुगतान का माध्यम/तरीका
1.	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	200/-	आवेदन पत्र शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए www.amd.gov.in वेबसाइट देखें। एक बार भुगतान किया गया शुल्क अप्रतिदेय, अहस्तांतरणीय होगा और किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित नहीं रखा जा सकता है।
2.	सहायक सुरक्षा अधिकारी/ए	200/-	
3.	सुरक्षा प्रहरी	100/-	

भुगतान दिनांक 17.11.2022 तक 23.55 बजे से पहले किया जाना चाहिए। निर्धारित समय के बाद ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क की छूट दी जाती है।

1. अजा/अजजा के उम्मीदवार 2. पूर्व सैनिक 3. दिव्यांग व्यक्ति 4. महिला उम्मीदवार

राष्ट्रीयता / नागरिकता ।

- i. उम्मीदवार को :
 - ए) भारत का नागरिक, या
 - बी) नेपाल का नागरिक, या
 - ग) भूटान का नागरिक, या
 - घ) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या
 - ई) भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका और ज़ांज़ीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो ।
- ii. बशर्ते कि उपरोक्त श्रेणियों (बी), (सी), (डी) और (ई) से संबंधित उम्मीदवार के व्यक्ति होंगे जिन्हें पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- iii. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जाएगा ।

अधिकतम आयु सीमा में छूट

अजा / अजजा / अपिव उम्मीदवार

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं होने के कारण केवल आरक्षित पदों हेतु ऊपरी सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अजा/अजजा/अपिव प्रमाण पत्र भारत सरकार में रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए ।
- अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट लागू नहीं है ।

विभागीय उम्मीदवार:

- विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट प्रचलित नियमानुसार मानी जाएगी। (अनुलग्नक-सी)

भूतपूर्व सैनिक:

- भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में आयु में छूट विज्ञापन में निर्धारित अधिकतम आयु से अधिक और रक्षा में प्रदान की गई सेवा की सीमा से अधिक तीन वर्ष होगी । भूतपूर्व सैनिक और पूर्व कांस्टेबल सशस्त्र बलों या पुलिस से सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए और सुरक्षा गार्ड के पद के लिए सेवामुक्त होने या सेवानिवृत्ति के तीन साल के भीतर ही आवेदन करने के पात्र होंगे ।
- भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को उनके पुनर्नियोजन के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन सिविल पक्ष में समूह 'सी' और 'डी' पदों पर पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ईएसएम श्रेणी और शुल्क रियायत में आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं यदि वह सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनबद्धता देता है जिसके लिए वह डीओपी एंड टी द्वारा जारी दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: 36034/1/2014-स्था (Res) में उल्लिखित प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था ।
- सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी नियमों के तहत आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा ।
- संघ के तीनों सशस्त्र बलों के किसी भी सैनिक को आरक्षण के लाभों को हासिल करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में माना जाना चाहिए, उसे पद/सेवा के लिए अपना आवेदन जमा करने के प्रासंगिक समय पर पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। पूर्व सैनिक की स्थिति या सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को स्थापित करने की स्थिति में है कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र बलों से सेवा की निर्दिष्ट अवधि को पूरा करेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त करना होगा। (अनुलग्नक-डी)

➤ व्याख्या: एक 'भूतपूर्व सैनिक' का अर्थ है -

जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की है और जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या ऐसी सेवा से मुक्त हो गया है या छुट्टी दे दी गई है, चाहे वह अपने अनुरोध पर या सेवामुक्त हो नियोक्ता अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद; या

जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या

स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से किसे मुक्त किया गया है;

या

जो इस तरह की सेवा से विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने स्वयं के अनुरोध पर, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के माध्यम से जारी किया गया है और एक ग्रेच्युटी दी गई है; और इसमें प्रादेशिक सेना के कर्मचारी शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा के लिए पेंशन धारक या अर्हक सेवा के टूटे हुए मंत्र;

या

सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना की डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर या के कारण जारी किए गए हैं या

सैन्य सेवा द्वारा उत्तेजित या

उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित; या

कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या

भूतपूर्व रंगरूटों को चिकित्सा आधार पर बोर्ड से हटा दिया गया या कार्यमुक्त कर दिया गया और उन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन प्रदान की गई।

- एक मेट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें एक भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने शिक्षा का भारतीय सेना का विशेष प्रमाणपत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिसने सशस्त्र बलों के साथ कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो संघ के समूह "सी" पदों में ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे गैर-स्नातक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है या आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे आवेदन करने के लिए इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं।
- पूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/ईएसएम आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिकों के रूप में अपनी श्रेणी का उल्लेख नहीं करना चाहिए।

एक बार जब एक भूतपूर्व सैनिक को एक आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध सिविल पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह एक भूतपूर्व सैनिक नहीं रह जाता है। हालांकि, पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ स्वीकार्य होगा।

बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD):

- ऊपरी आयु सीमा में छूट विकलांग व्यक्तियों (OH/HH/VH/OD) के लिए नीचे दिए गए पदों (क्र.सं.01- यानि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी) हेतु स्वीकार्य है बशर्ते कि दस्तावेज सत्यापन के समय विकलांगता के उनके दावे संबंधित लोकोमोटर विकलांगता का आकलन करने के लिए दायर किए गए विशेष रूप से कम से कम एक विशेषज्ञ वाले सरकारी अस्पताल / मेडिकल बोर्ड से जारी किए गए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम नहीं होना चाहिए।
- PwBD उम्मीदवार सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए और सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं, जो पद PwBD के लिए नहीं किये गये हैं।
-

रक्षा कार्मिक किसी विदेशी देश के साथ या अशांत क्षेत्र में शत्रुता के दौरान ऑपरेशन में अक्षम और उसके परिणामस्वरूप जारी किया गया

- अक्षम रक्षा कार्मिकों के लिए पहचान किए गए पदों (क्रमांक 01 अर्थात कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए) के संचालन में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट स्वीकार्य है।
- विकलांग रक्षा कार्मिक सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए और सुरक्षा गार्ड के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

विधवा, तलाकशुदा महिला और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हो गई महिला जिसने दोबारा शादी नहीं की है

- आयु में छूट केवल **सुरक्षा गार्ड पद** के संबंध में लागू है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

अना/अकव	अ.ज.	अ.ज.जा.	अपिव
35 वर्ष	40 वर्ष	40 वर्ष	38 वर्ष

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण

वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले यानी 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात, वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। साथ ही, जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या उनके स्वामी हैं, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा:

- (i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- (ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट;
- (iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्र में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट।

अलग-अलग स्थानों या अलग-अलग जगहों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।

इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति या पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल होंगे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। संलग्नक-एच में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

- (ए) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टायापेंडरी मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
- (बी) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (सी) तहसीलदार या उससे वरिष्ठ स्तर का राजस्व अधिकारी तथा
- (डी) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे

पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।।

इस विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम तिथि को ईडब्लूएस स्टेटस पर ही आरक्षण का लाभ लेने के लिए विचार किया जाएगा, यदि वह पात्र होगा/होगी। अभ्यर्थी की जाति/ईडब्लू स्टेटस में किसी भी बदलाव मान्य नहीं होगा।

प्रमाणन की प्रक्रिया तथा प्रमाण पत्रों का प्रारूप :

- क) वे अभ्यर्थी, जो आरक्षित रिक्तियों या आयु-सीमा में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, दस्तावेज के सत्यापन के समय उन्हें विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लू एस/पीडब्लूबीडी/ईएसएम श्रेणी के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी। प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की सूचना के साथ संलग्न है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकता है।
- ख) अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे उसी श्रेणी से आते हैं, जो उन्होंने आवेदन में लिखा है तथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऐसे प्रमाण पत्रों की मांग की जाए तो वे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। ऐसा नहीं होने पर उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि श्रेणी के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है, तो इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा और इस निदेशालय को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस संबंध में डाक, ई-मेल, स्वयं आकर, आदि के माध्यम से प्राप्त कोई भी शिकायत पर इस निदेशालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, अभ्यर्थी 'क' ने अपने आवेदन में अपिव भरा है और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान वह वैध अपिव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस निदेशालय द्वारा उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- ग) अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/पीडब्लूबीडी/ईएसएम का दावा करने या कोई अन्य लाभ जैसे, शुल्क में रियायत, आरक्षण, आयु-सीमा में छूट आदि, जिसे अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो उसका दावा करने अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- घ) कोई व्यक्ति जो अपिव के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहता है, जो उसे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाण पत्र हो और वह आवेदन करने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में न आता हो।
- ड) अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज के सत्यापन तक अनंतिम रहेगी। अभ्यर्थियों को सावधान किया जाता है कि यदि वे कपटपूर्ण अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/पीडब्लूबीडी/ईएसएम का दावा करते हैं या कोई अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो उन्हें इस निदेशालय द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा।

प्रतिपूर्ति समय तथा स्क्राइब (प्रलिपि) की सहायता का प्रावधान :

अंधापन (कम दृष्टि), लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, के साथ बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहता है, जो स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चूंकि, बीए दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए पद की पहचान नहीं की गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

न्यूनतम मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में अनुलग्नक -ए पर दिए प्रारूप के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/ चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति का लेखन संबंधी शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

प्रलिपिक की सेवा लेना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

- ए) उम्मीदवारों को स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
- बी) जिस प्रलिपिक की सेवाएं ली जा रही हैं, उसे स्वयं उस पद/रिक्ति /परीक्षा जिसमें अभ्यर्थी भाग ले रहा है, का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए । यदि किसी चरण में कोई उल्लंघन पाया जाता है, अभ्यर्थी एवं प्रलिपिक दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ।
- सी) दिव्यांग अभ्यर्थी जो छूट के लिए पात्र नहीं हैं, उन्हें प्रलिपिक की सेवा लेने की अनुमति नहीं होगी ।
- डी) यदि अभ्यर्थी अपने प्रलिपिक का विकल्प देता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के समय अनुलग्नक - ए पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इसके अलावा प्रलिपिक का परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । अनुलग्नक -बी पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी और प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक कि पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- ई) जो अभ्यर्थी प्रलिपिक का विकल्प देते हैं, अनुलग्नक -ख में प्रलिपिक का विवरण उपलब्ध करना होगा जिसे अभ्यर्थी तथा प्रलिपिक दोनों द्वारा परीक्षा के समय हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । प्रलिपिक को परीक्षा केंद्र पर मूल वैध पहचानपत्र प्रस्तुत करना होगा, तथा अनुलग्नक -ख पर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना होगा ।
- एफ) परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लाए गए प्रलिपिक द्वारा किए गए किसी दुराचार के लिए उत्तरदायी होंगे ।

कागजात का सत्यापन :

अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन आवेदन की प्रति के साथ-साथ मूल रूप में संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिखित परीक्षा के बाद हैदराबाद में कागजात सत्यापन के समय निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रतियों को प्रस्तुत करना होगा ।

- ए) अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने के सबूत अंकतालिकाओं/प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित शैक्षणिक योग्यता; ऐसा न करने पर ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन समाप्त किया जाएगा ।
- बी) जन्मतिथि (मैट्रीकुलेशन/सेकेन्ड्री स्कूल प्रमाणपत्र) का वैध सबूत
- सी) एससी/एसटी अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए तथा समुदाय को संबंधित राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश में शामिल होना चाहिए। (अनुलग्नक-एफ में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)
- डी) ओबीसी अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र हाल के वैध तिथि का होना चाहिए तथा क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा जाति/समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल होना चाहिए । (अनुलग्नक-जी में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)
- ई) शारीरिक विकलांगता (अनुलग्नक-1, J एवं K में दिए गए प्रपत्र के अनुसार- दिव्यांगजनों के लिए लागू) के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाणपत्र ।
- एफ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा समुदाय को संबंधित राज्य से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश में शामिल होना चाहिए (अनुलग्नक-H में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)
- जी) रक्षासेवा से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र (भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल लागू)

एच) संबंधित प्रमाणपत्र, यदि आयु में छूट चाहिए ।

i) जो अभ्यर्थी विवाह अथवा पुनर्विवाह अथवा विवाह विच्छेद पर मैट्रीकुलेशन के बाद नाम में परिवर्तन का दावा करता है :

- ए. औरतों के विवाह के संबंध में : पति के पासपोर्ट, जिसमें विवाहिती का नाम लिखा हो की फोटोकॉपी, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटोग्राफ के साथ पति तथा पत्नी से शपथपत्र अथवा विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति ।
- बी. औरतों के पुनर्विवाह के संबंध में : विवाह विच्छेद विलेख/प्रथम विवाहिती के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी स्थिति हो, वर्तमान पति के पासपोर्ट, जिसमें विवाहिती का नाम लिखा हो, की प्रति, शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटोग्राफ के साथ पति तथा पत्नी से शपथपत्र अथवा विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति ।
- सी. औरतों के विवाह-विच्छेद के संबंध में : विवाह विच्छेद आदेश तथा विलेख पोल/शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए शपथपत्र
- डी. दोनों पुरुष एवं महिला के नाम में परिवर्तन हेतु अन्य परिस्थिति : डीड पोल/शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए शपथपत्र तथा मूल रूप में दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र अभ्यर्थी के स्थायी तथा वर्तमान पते अथवा नजदीकी क्षेत्र) तथा शपथपत्र की अधिसूचना ।

सामान्य शर्तें

1. आवेदन केवल ऑनलाइन जमा करने होंगे । कोई हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
2. विस्तृत जानकारी और ऑन-लाइन आवेदन और आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए, वेबसाइट www.amd.gov.in पर लॉग इन करें । ऑन-लाइन आवेदन जमा करने की सुविधा **29.10.2022 से 17.11.2022 तक** उपलब्ध होगी ।
3. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन में वर्णित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है । उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सही जानकारी प्रस्तुत करें । उम्मीदवार को उसके आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर पडताल सरकारी तौर पर की जाएगी । भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण से पहले केवल आवेदन की एक सारांश जांच की जाएगी और उम्मीदवार की पात्रता की विस्तृत जांच केवल भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण में की जाएगी । इस प्रकार, आवेदक की उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि विस्तृत जांच नहीं हो जाती है और उम्मीदवार सभी प्रकार से योग्य नहीं पाए जाते हैं ।
4. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि के अनुसार ऊपर बताए अनुसार शैक्षणिक योग्यता हासिल नहीं की है, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में आगे कोई पत्राचार या स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक / माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई तिथि को इस निदेशालय द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा और बाद में परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर विचार या अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. उम्मीदवारों के पास एक वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है । भर्ती के दौरान इसे सक्रिय रखा जाना चाहिए । लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन आदि के लिए बुलावा पत्रों के बारे में आवश्यक सूचना केवल पंजीकृत ईमेल आईडी/पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से भेजी जाएगी।
7. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और समापन के दिन/अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता / अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके ।

8. इस निदेशालय के नियंत्रण से बाहर किसी भी कारण से उम्मीदवारों के अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन जमा नहीं कर पाने के लिए यह निदेशालय जिम्मेदार नहीं होगा ।
9. प.ख.नि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उम्मीदवार पद के लिए अयोग्य पाया जाता है या यदि यह ध्यान में आता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी प्रस्तुत की है ।
10. उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने में प.ख.नि का निर्णय अंतिम होगा । यह केवल तथ्य है कि उम्मीदवार को एक कॉल लेटर जारी किया गया है और लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति से यह नहीं माना जाएगा कि उसकी उम्मीदवारी को अंतिम रूप से मंजूरी दे दी गई है या उसके आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दर्ज की गई प्रविष्टियाँ सही और सत्य माना गया है ।
11. विश्वविद्यालयों / बोर्ड से प्रदान की गई पुरस्कार ग्रेड / सीजीपीए / ओजीपीए के मामले में, विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार समान अंकों को प्रतिशत में इंगित करना होगा । अन्यथा, उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा ।
12. शारीरिक परीक्षण / लिखित परीक्षा की तिथि, समय और स्थान की सूचना पात्र उम्मीदवारों को ई-मेल/ एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
13. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से सिन्क्योरिटी गार्ड के लिए लिखित परीक्षा और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के लिए लेवल -1 परीक्षा प्रत्येक शहर में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित शहरों में आयोजित की जाएगी । उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में 3 शहरों का चयन करना होगा । पखनि किसी भी शहर / केंद्र में उम्मीदवारों को आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और किसी भी केंद्र / शहर में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में पखनि का निर्णय अंतिम होगा।

1	अहमदाबाद	7	हैदराबाद	13	नागपुर
2	बेंगलुरु	8	इंदौर	14	रांची
3	चंडीगढ़	9	जयपुर	15	तिरुवनंतपुरम
4	चेन्नई	10	कोलकता	16	विशाखापट्टणम
5	दिल्ली	11	लखनऊ		
6	गुवाहाटी	12	मुंबई		

14. परीक्षा स्थलों और तिथियों की सूचना/प्रकाशन पर, उम्मीदवारों को सीबीटी परीक्षा में भाग लेने के लिए अपने परीक्षा स्लॉट/केंद्र बुक करना होगा, ऐसा न करने पर, उम्मीदवारों को बाद में सीबीटी परीक्षाओं के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाएगा । यानि उन उम्मीदवारों के लिए कोई लिखित परीक्षा/सीबीटी आयोजित नहीं की जाएगी जो सीबीटी परीक्षा के लिए अपने स्लॉट/परीक्षा केंद्र बुक नहीं करते हैं। जिन उम्मीदवारों ने स्लॉट बुक किया है, उन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसे उम्मीदवार द्वारा परीक्षा (परीक्षाओं) में भाग लेने के लिए एएमडी की वेबसाइट (www.amd.gov.in) में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है ।
15. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए लेवल 2 परीक्षा और सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए के लिए लिखित परीक्षा हैदराबाद या चयनित केंद्रों पर सहायक सुरक्षा अधिकारी-ए के लिए शारीरिक परीक्षण और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए लेवल-1 परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के परिणामों के आधार पर आयोजित की जाएगी । केवल वे उम्मीदवार जो शारीरिक परीक्षण/स्तर-1 परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वे पखनि की वेबसाइट (www.amd.gov.in) में दिए गए लिंक से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ।
16. प्रवेश-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी प्रूफ, जिसमें प्रवेश-पत्र पर मुद्रित जन्मतिथि के समान हो, जैसे कि:
 - i. आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - ii. मतदाता पहचान पत्र,
 - iii. डाइविंग लाइसेंस,
 - iv. पैन कार्ड,
 - v. पासपोर्ट,
 - vi. विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी आईडी कार्ड,
 - vii. नियोक्ता आईडी कार्ड (सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम),
 - viii. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक निर्वहन पुस्तक,
 - ix. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र ।

क) यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि मुद्रित नहीं है, तो उम्मीदवार को उनके प्रमाण के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई / आईसीएसई / राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक पत्र; जन्म प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। यदि जन्म की तारीख, प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी / प्रमाण पत्र में बे-मेल होने की स्थिति में, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान उम्मीदवार अपने साथ ले जा सकते हैं।

17. परीक्षा के किसी भी चरण/स्तर (स्तरों) के अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. प्रमाण पत्र सत्यापन हैदराबाद में केवल उन उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचे हैं।
19. चयन सूची संबंधित योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही यथास्थिति प्रकाशित की जाएगी।
20. इस निदेशालय से पत्राचार करते समय उम्मीदवार को नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इन विवरणों को प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
21. सिर्फ विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्यता को पूरा करने से मात्र उम्मीदवार लिखित परीक्षा (लेवल-1 एवं 2) के लिए बुलाये जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
22. केंद्रीय / राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में काम करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के समय "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना होगा।
23. चयनित उम्मीदवारों पर नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन स्कीम) लागू होगी, जो वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ECB दिनांक 22.12.2003 के अंतर्गत जारी प्रावधानों के अनुसार दिनांक 01.04.2004 से लागू है।
24. प्रतीक्षा सूची के संचालन की वैधता चयन पैनल के तैयार होने की तिथि से या उक्त पदों के लिए बाद में जारी अधिसूचना, जो भी पहले हो, से एक वर्ष के लिए होगी।
25. चयन सूची को अंतिम रूप देने की तारीख से चयन नहीं किए गए उम्मीदवारों का रिकॉर्ड 6 महीने से अधिक संरक्षित नहीं किया जाएगा।
26. प.ख.नि के पास सभी पदों को भरने या पदों की संख्या में संशोधन या यहां तक कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने और बिना किसी सूचना के परीक्षा केंद्र बदलने का अधिकार सुरक्षित है।
27. प.ख.नि किसी भी चरण में किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार रखता है।
28. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में जाति / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
29. **अनर्हताएं:** कोई भी व्यक्ति, (ए) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (बी) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, या विवाह का अनुबंध किया है, वह इसके लिए पात्र नहीं होगा। सेवा में नियुक्ति बशर्ते कि केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि इस तरह के विवाह को ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इसके नियम से छूट दी जा सकती है।

30. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानी 17.11.2022 को ईडब्ल्यूएस का वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों पर विचार नहीं किया जाएगा।

31. विज्ञापन दिनांक 29.10.2022 को रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 29.10.2022 को प्रकाशित किया गया।

32. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो इस परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यह निदेशालय मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी दे सकता है, जैसा उचित समझा जाए। यह निदेशालय संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए भी उचित कार्रवाई करने के लिए सक्षम होगा।

33. सभी उम्मीदवारों को सावधानी:

- उम्मीदवारों को केवल पखनि की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए प्राधिकृत लिंक के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करते समय अधिक सतर्कता व सावधानी बर्तनी होगी और इसके साथ दलालों और नकली वेबसाइटों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
- यदि कोई व्यक्ति चयन/नियुक्ति के आश्वासन के साथ इस निदेशालय में अवैध परितोषण के माध्यम से उम्मीदवार के पास जाता है, तो उसे इस तरह के आश्वासन या शोषण का शिकार नहीं होना चाहिए और ऐसे तत्वों को किसी भी तरह से बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इस बात पर जोर दिया जाता है और पुनः आश्वासन दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया केवल योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

34. न्यायालय का क्षेत्राधिकार : इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल हैदराबाद में क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के अधीन होगा।

35. किसी भी रूप में प्रचार करना अयोग्यता होगी।

36. नोट: शुद्धिपत्र/विस्तार आदि, यदि कोई हो, केवल हमारी वेबसाइट www.amd.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। कृपया नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें।

नियुक्ति और स्थानन (प्लेसमेंट)

37. विज्ञापित पद परमाणु ऊर्जा विभाग के पूरे भारत में स्थित विभिन्न संघटक इकाइयों के लिए हैं। इसलिए, चयनित पैनल (मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों) तैयार करने के बाद, श्रेणी-वार, चयनित उम्मीदवार को पऊवि की किसी भी संघटक इकाई में रोजगार की पेशकश की जा सकती है, जिसे उम्मीदवार नोट करें।

38. विज्ञापित पद पूरे भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग(पऊवि) की विभिन्न संघटक इकाइयों के लिए हैं। इसलिए, चयनित पैनल (मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची दोनों) तैयार करने के बाद, श्रेणी-वार, चयनित उम्मीदवार को पऊवि की किसी भी संघटक इकाई में रोजगार के लिए नियोजित किया जा सकता है, जिसे सभी उम्मीदवार कृपया नोट करें। अतः उम्मीदवार पऊवि की किसी भी संघटक इकाई और भारत में किसी भी स्थान पर अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____(name of the candidate with disability), a person with _____(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/ D/o _____a _____ resident of _____(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR)

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

Paste
passport size
photograph
of scribe here
and sign
across

I _____, a candidate with _____ (name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State/ UT) My qualification is _____

I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/ her qualification is _____ In case, subsequently it is found that his/ her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:

Specimen signature of Scribe

FORM OF CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY CENTRAL GOVERNMENT CIVILIAN EMPLOYEES
SEEKING AGE-RELAXATION

To be filled by the Head of the Office or Department in which the candidate is working).

It is certified that *Shri/Smt./Km. _____ is a Central Government Civilian employee holding the post of _____ in the pay scale of Rs. _____ with 3 years regular service in the grade as on closing date of receipt of Applications Forms for _____ (name of examination).

Signature _____

Name _____

Official Seal _____

Place:

Date:

*(*Please delete the words which are not applicable.)*

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.)

(Rank) _____ (Name)

_____ is due to complete the specified term of his engagement with the
Armed Forces on the (Date)_____.

(Signature of Commanding Officer)

Office Seal

Place:

Date:

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I,bearing Roll No.....,appearing for the Document Verification of the Examination, 20... , do hereby undertake that:

I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex- Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.

I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or

I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason... in the

office of I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or

I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason... in the office of Therefore, I am eligible for age- relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:

Name:

Roll Number:

Date:

Date of appointment in Armed Forces:

Date of Discharge:

Last Unit/ Corps:

Mobile Number:

Email ID:

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his/ her claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____ son/daughter of _____ of village/town* _____ in District/Division * _____ of the State/Union Territory* _____

belongs to the Caste/Tribes _____ which is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____

The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____

The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 * _____

The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order, 1951* _____

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 _____

The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976* .

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @

The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996@

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act 2002@

The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002@

The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act 2002@

The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007@

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____ Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* _____ of the State/Union Territory of _____

Signature _____

** Designation _____

(with seal of office)

Place_____

Date_____

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.
NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA)

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter of _____ of village/town _____

in District/Division _____ in the State/Union Territory _____ belongs to the _____ Community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____ dated _____*.

Shri/Smt./Kumari _____ and/or his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division of the _____ State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate: _____

Deputy Commissioner etc.: _____

Dated:

Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ PostOffice _____ District _____ in the State/ Union Territory _____ PinCode _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her 'family'** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____ His/ her family does not own or possess any of the following assets *** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Recent Passport size attested photograph of the applicant

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

** Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Form-V Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size
attested photograph

(Showing face only) of the
person with disability.

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of
Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____
registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District
_____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied
that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is

(C) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words)
permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of
body) as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be
specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate
--------------------	---------------	---

Signature/thumb impression of the person

(Signature and Seal of Authorised Signatory of
notified Medical Authority)

in whose favour certificate of disability is issued

Form - VI Certificate of
Disability
(In cases of multiple disabilities) [See rule
18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport
size attested
photograph
(Showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____
Age _____ years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (...number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		

- 9. Deaf £
- 10. Hard of Hearing £
- 11. Speech and Language disability
- 12. Intellectual Disability
- 13. Specific Learning Disability
- 14. Autism Spectrum Disorder
- 15. Mental illness
- 16. Chronic Neurological Conditions
- 17. Multiple sclerosis
- 18. Parkinson's disease
- 19. Haemophilia
- 20. Thalassemia
- 21. Sickle Cell disease

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (... number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:

In figures----- percent

In words:-percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate
--------------------	---------------	--

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
-------------------------	-------------------------	----------------------------------

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form – VII Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
(See rule 18(1))

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of
Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____
_____ Age _____ years, male/female _____ Registration No.
_____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street
_____ Post Office _____ District _____
State .. _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that
he/she is a case of _____ disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (...
..... number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the
relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			

13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)

@ - eg. Left/Right/both

arms/legs

- eg. Single

eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorized Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned

{Countersignature and seal of the Chief Medical Officer/Medical Superintendent/ Head of Government Hospital, in case the Certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District(Physical deformity should not be less than 40 percent. Hard of Hearing (HH) means loss of 60 decibels or more in the better ear in the conversational range of frequencies.)